फार्म नं. 11

फर्द अहकाम

नियम(26)

अज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाईमाधोपुर

उनवान

मोतीलाल बनाम तिलक रघुवीर वगैरहा

किस्म मुकदमा:–आरटीए 225 अपील संख्या 09 वर्ष 2024

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही इंनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।</th></tr>
<tr><td>09.02.2024

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते)</td><td>अपील बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई, दर्ज रजिस्टर की जाये। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि प्रकरण मे प्रश्नगत खाता संख्या 303, 334, 337, 338, 376, 430, 443, 444, 550, 551, 552 एवं 556 किता 12 रकबा 2.08 हैक्ट. ग्राम कुतुलपुरा मालियान अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाकर तहत न्यायालय में वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–प्रत्र प्रस्तुत किया तथा तहत न्यायालय द्वारा हम अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया यह सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार अभिधारी के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2024 को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी कर आगामी सुनवाई दिनांक 03.04.2024 नियत की जो आदेश 39 नियम 3ए का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अपील एवं प्रार्थना–प्रत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाकर प्रार्थियों के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबंद करे।
मेरे द्वारा तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.01.2024 एवं अपील मीमो का अवलोकन किया गया तथा पाया कि प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम काफी अरसे पूर्व विरासत से आयी तथा अपीलान्ट राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण 30 दिवस में किये जाने हेतु आदेश 39 नियम 3ए एवं जगदीश बनाम भोपालराम आरआरडी 2014 प्रकरण में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाकर प्रथम सुनवाई अवधि 3 माह से अधिक दिवसों की नियत की है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2024 उनवानी तिलकरघुवीर बनाम मोतीलाल पारित निर्णय दिनांक 02.01.2024 का प्रचलन, प्रभाव व क्रियान्विति स्थगित की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार प्रकरण का 30 दिवस में पक्षकारान का सुनकर अन्तिम निर्णय प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा किया जाना सुनिश्चित करें।

अपीलान्ट तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर में सुनवाई हेतु दिनांक को पेश हो।
पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम की जाये।

(हस्ताक्षर) 30-1-24
उम्मेदीलाल मीणा
(आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर
(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर)</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner